न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 49/2017

1 गिरवर सिंह पुत्र छगन सिंह जाति राजपूत निवासी सामी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 लिछमण पुत्र रामलाल।
2 सांवरमल पुत्र रामलाल।
3 अमरचन्द पुत्र सुवालाल समस्त जाति नाई निवासीगण सामी तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

आवेदन बाबत कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 31.03.22

यह अवमानना प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय द्वारा अपील संख्या 78/2012 में पारित निर्णय दिनांक 02.03.2012 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 78/2012 में जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 02.03.2012 से विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है। इसके उपरान्त भी अपीलांट ने मौके पर पुराने डोल को तोड़कर अवमानना की है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि इस न्यायालय में लम्बित अपील संख्या 78/2012 में जारी अन्तरिम स्थगन दिनांक 02.03.2012 से विवादित भूमि की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का स्थगन है। इसके उपरान्त भी अपीलांट ने मौके पर पुराने डोल को तोड़कर अवमानना की है। अत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट को दण्डित किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी अपीलांट ने तर्क दिया कि अवमानना प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट की और से किसी प्रकार का दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। साक्ष्य के अभाव में अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज योग्य है। अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में अवमानना प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट की और से किसी प्रकार का दस्तावेजी अथवा मौखिक

साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। साक्ष्य के अभाव में अवमानना प्रार्थना पत्र साबित नही होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर